**न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शामली स्थित कैराना।**
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–**748 / 2026**

**भोल्लर उर्फ मुदस्सिर पुत्र इकबाल, निवासी पानीपत रोड नया बाईपास कस्बा व थाना कैराना, जिला शामली। .....आवेदक / अभियुक्त,**

**बनाम**

**राज्य .....विपक्षी,**

मु0अ0सं0 114 / 2026
धारा 109(1),351(2),191(2),190,191(3),111(4) बी.एन.एस.
थाना कैराना, जिला शामली।

आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता–**श्री सुनील चौहान,**
राज्य– **श्री संजय सिंह चौहान, जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक,**
**दिनांकः–05.06.2026**

आवेदक / अभियुक्त **भोल्लर उर्फ मुदस्सिर** की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र शपथकर्ती हसमूदा पत्नी इकबाल द्वारा इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह आवेदक / अभियुक्त की पैरोकार है तथा तथ्यों से परिचित है। आवेदक / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना–पत्र न तो सत्र न्यायालय न ही माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा गौरव चौहान, उपनिरीक्षक द्वारा संबंधित थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 15.02.2026 को आबिद को कुछ व्यक्तियों द्वारा लाठी डण्डों से मारपीट कर घायल कर दिया गया था, जिसका मेडिकल परीक्षण थाना कैराना पुलिस द्वारा कराया गया था, किंतु पीड़ित गंभीर रूप से घायल होने व अपराधियों के डर व भय के कारण लिखित तहरीर नहीं दिया। उक्त बदमाशों द्वारा पीड़ित आबिद को जान से मारने की नीयत से लाठी डण्डों व सरियों से पीटते हुए वीडियो बनाकर वायरल की गयी। वीडियो की जांच वादी द्वारा भूरा बाईपास के पास बने मंदिर के पास में जाकर की गयी तो मुहल्ले के लोगों ने बताया कि बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं, जिनका मुहल्ले में आतंक व्याप्त है, इसलिए आपसी दुश्मनी के कारण कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। सच बात तो यह है कि इन लोगों द्वारा आबिद को जान से मारने की नीयत से मारपीट की गयी थी, आबिद को मारपीट करते हुए वीडियो भी अपने मोबाईल फोन में दिखायी घटना की तसदीक हुई। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी उक्त तहरीर के आधार पर संबधित थाने पर अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अन्तर्गत धारा 109(1),351(2),191(2),190,191(3) बी.एन.एस. पंजीकृत हुआ।

आवेदक / अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक / अभियुक्त निर्दोष है, उसे इस मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है, उसने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है, जैसा कि मामले की प्राथमिकी में दर्शाया गया है। थाने की पुलिस द्वारा उसे घर से उठाकर फर्जी चालान करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। कथित घटना से उसका कोई संबंध सरोकार नहीं है। उसके द्वारा न तो किसी के साथ मारपीट की गयी है और न ही किसी का गला दबाया गया है। वादी ने फर्जी मेडिकल तैयार कराया है। वह दिनांक 25.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि आवेदक / अभियुक्त के विरूद्ध वर्तमान मामले के अतिरिक्त एक अन्य मामला अ0सं0 704 / 2025, थाना कैराना में पंजीकृत है, जिसमें वह माननीय न्यायालय से जमानत पर है, जमानत आदेश की प्रति प्रस्तुत

की गयी है। उपरोक्त आधार पर आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध किया तथा प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर चुटैल आबिद पर जान से मारने की नीयत से मारपीट करने का आरोप है। चुटैल आबिद की आघात आख्या दिनांकित 15.02.2026 में उसके शरीर पर कुल 06 चोटे आना दर्शाया गया है, जिनमें चोट नं0 1,2 व 3 को जेरे निगरानी रखे जाने व अन्य चोटों के साधारण प्रकृति के होने का उल्लेख है। आघात आख्या अथवा डॉ0 विकास चन्द, चिकित्सक के बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में चुटैल की किसी भी चोट के प्राणघातक अथवा गंभीर प्रकृति के होने का उल्लेख नहीं किया गया है। मामले में बाद विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वर्तमान मामले के अतिरिक्त एक अन्य मामला पंजीबद्ध होना बताया गया है, जिसमें वह इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 28.01.2026 के अनुसार जमानत पर है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सहअभियुक्तगण तनवीर, शाकिब व अंसार की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2026 को स्वीकार की जा चुकी है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना यह न्यायालय जमानत का उचित आधार पाता है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

आवेदक/अभियुक्त **भोल्लर उर्फ मुदस्सिर** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को अंकन 50,000/–(रू0 पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं इसी धनराशि के दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि अनुरूप दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता हैः–

1. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांक–05.06.2026

**( प्रभारी )**
सत्र न्यायाधीश,
शामली स्थित कैराना।